देश की राजनीति के आधार स्तंभ

बाबू बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल

(मंडल आयोग)

बाबू बी.पी. मण्डल

लेखक : डॉ. डी.के. वर्मा

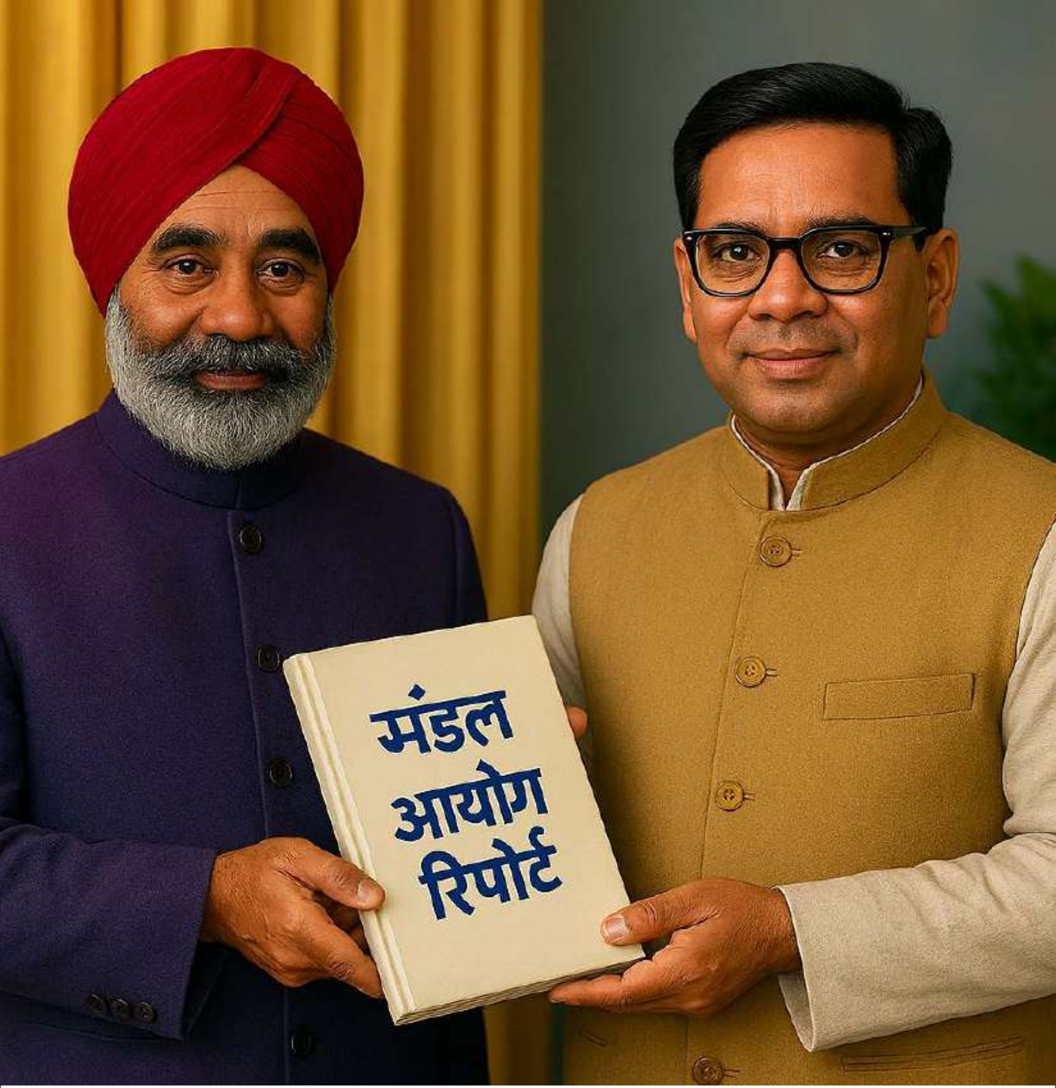

राष्ट्रपति जानी जैल सिंह को रिपोर्ट सौंपते बाबू बी पी मंडल
दिनांक 31 दिसंबर 1980

माता सावित्री फाउण्डेशन
रानीडीह चौराहा
पो. खोराबार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

आवरण सज्जा : सन्दीप सुल्तानपुरी

मूल्य रू 50/-

978-93-95044-32-5

ज्ञानप्रकाश जखमी
प्रकाशक

प्रकाशन
बुद्ध अम्बेडकर कल्याण एसो0, उ0प्र0 (रजि.)
356/340/835 राजगार्डेन कॉलोनी, आलमनगर, लखनऊ-226017
सम्पर्क सूत्र : 9415941920, 8181819157
Email : baks.gpjakhmi@gmail.com, www.bbtoday.in

Printed by #7800789555

देश की राजनीति के आधार स्तंभ
बाबू बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
(मंडल आयोग)

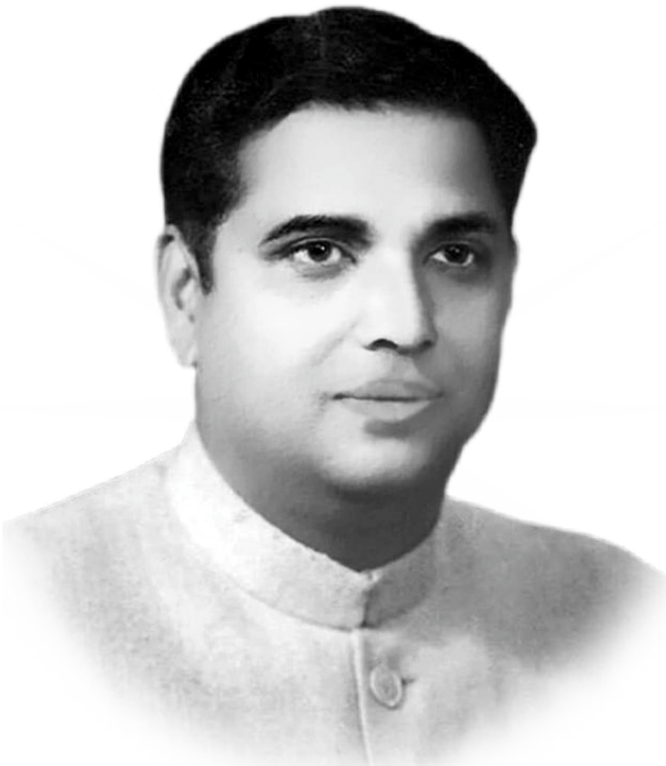

बाबू बी.पी. मण्डल

(107 वीं जयन्ती के अवसर पर)

लेखक : डॉ. डी.के. वर्मा

देश की राजनीति के आधार स्तंभ बाबू बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (मंडल आयोग)

आईएसबीएन	:	**978-93-95044-32-5**
लेखक	:	**डॉ. डी.के. वर्मा**
प्रथम संस्करण	:	अगस्त 2025
प्रतियाँ	:	2000
सहयोग राशि	:	50/-
प्रकाशक©	:	ज्ञानप्रकाश जखमी
शब्दांकन	:	सन्दीप सुल्तानपुरी
सभी चित्र	:	जाह्नवी वर्मा
मुद्रक	:	539क/100क/240, देवपुरी भवन, संजय गांधीपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016

नोट :- जनमानस में देश के महापुरूषों के सन्देश को प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से ''हर घर'' श्रृंखला के तहत प्रस्तुत पुस्तिका ''देश की राजनीति के आधार स्तम्भ बाबू बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल (मंडल आयोग)'' तैयार की गयी है। इस में इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया है कि समाज के किसी वर्ग या भाग की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। तथापि भूलवश या अकारण हुयी ऐसी त्रुटि के लिए लेखक व प्रकाशक क्षमा प्रार्थी है। किसी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

प्रकाशन

बुद्ध अम्बेडकर कल्याण एसोसिएशन उ.प्र. (रजि.)
356/340/835, राजगार्डेन कालोनी, आलमनगर, लखनऊ-226017
मो. 8181819657, E-mail : baks.gpjakhmi@gmail.com, www.bbtoday.in

सौजन्य से

माता सावित्री फांउडेशन गोरखपुर

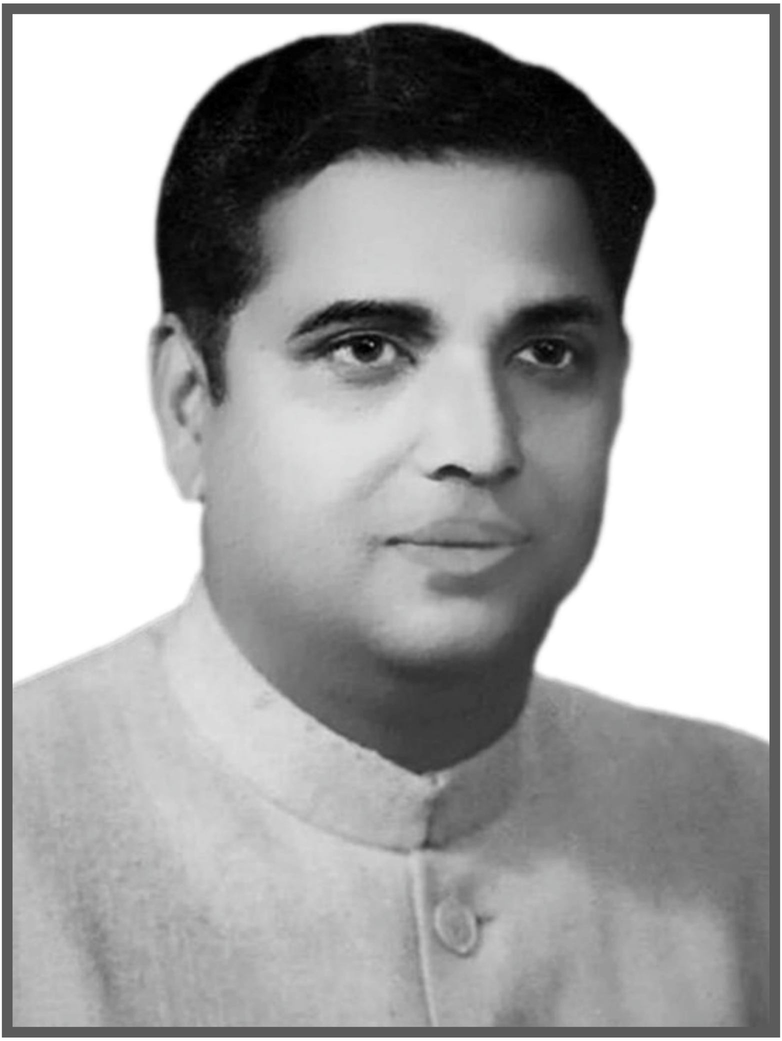

बाबू बी.पी. मण्डल

(25 अगस्त 1918 – 13 अप्रैल 1982)

प्रस्तावना

देश में कृषि एवं कृषि के अनुषंगी व्यवसायों से जुड़ी जातियों के उत्थान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई के द्वारा बाबू बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इन खेतिहर जातियों का अध्ययन कर इनके सामाजिक शैक्षणिक और नैतिक विकास के लिए सलाह देना ही इस आयोग का प्रधान उद्देश्य था। बाबू बी.पी. मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। इन्होंने दो वर्ष से भी कम समय में पूरे देश का दौरा कर अपनी संस्तुतियां दीं। यही रिपोर्ट आगे चलकर मंडल आयोग की रिपोर्ट कहलाई। यह रिपोर्ट इतनी प्रभावशाली थी कि वर्ष 1980के बाद देश की राजनीति इसी रिपोर्ट के आस पास चक्कर लगाने लगी। आयोग ने बताया कि खेतिहर समाजों जिन्हें ओबीसी के नाम से जाना जाता है की संख्या प्रत्येक गांव में 65 प्रतिशत से कम नहीं है। वर्ष 1932 की जनसंख्या के अनुसार इसकी संख्या 52 प्रतिशत थी। निश्चित रूप से यह संख्या बढ़ी ही होगी कम नहीं हुई होगी। आयोग ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कई सिफारिशें की। राजकीय सेवाओं और शिक्षा समेत सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में 27 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की सिफारिश मात्र एक सिफारिश थी जिसे वी पी सिंह की सरकार ने लागू किया। इसका कितना विरोध हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान में इस आयोग की संस्तुतियों की क्या स्थिति है? बी. पी. मंडल साहब का व्यक्तित्व किस तरह का था? कैसे उन्होंने अपने कार्य में सफलता पाई इस पुस्तिका की विषय वस्तु है। आशा है

पुस्तिका से खेतिहर समाजों में देश प्रेम और समाज के प्रति समझ को बढ़ावा मिलेगा। बुद्ध अम्बेडकर कल्याण एसोसिएशन उ. प्र. (रजि.) प्रकाशन द्वारा ''देश की राजनीति के आधार स्तम्भ बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल'' प्रकाशित पुस्तक के लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. डी.के.वर्मा जी, उपनिदेशक, उद्यान, गृह जनपद-अम्बेडकर नगर की पुस्तिका के लिए भूरि-भूरि सराहना एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।

ज्ञानप्रकाश जखमी
प्रकाशक
मो. 8181819657

लेखकीय

देश में बहुसंख्यक समाज को न्याय दिलाने वाले नेताओं के ऊपर साहित्य का अभी भी अभाव है। इन नेताओं में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बी.पी. मंडल का नाम सर्वोपरि है। उनका नाम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जुड़ा हुआ जाना जाता है जो कालांतर में उनकी टाइटल के नाम से ही पूरे देश में प्रसारित हुआ। न केवल प्रसारित हुआ वरन उसने देश की राजनीति को संचालित किया। प्रस्तुत पुस्तिका में इसी मंडल आयोग और उसके अध्यक्ष के संघर्ष की कहानी को अत्यंत संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से कि पुस्तिका देश के आम नागरिक की पहुंच में हो और तथ्यों को भली प्रकार समझाया जा सके।

मंडल आयोग की संस्तुतियों क्या थीं ? दिनांक 07 अगस्त 1990 प्रधानमंत्री बी.पी. सिंह की सरकार के द्वारा किन संस्तुतियों को लागू किया गया था? और उनके अनुपालन की स्थिति वर्तमान स्थिति को अत्यंत संक्षिप्त में रखने का एक छोटा प्रयास इस पुस्तिका में किया गया है। पुस्तिका की रचना में श्री सुनील कुमार यादव, (महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित) डिवीजनल वार्डन नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, डॉ. अंजू वर्मा, श्री जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट, फर्रुखाबाद, श्री शैलेन्द्र पटेल प्रधानाचार्य, SPPS कानपुर, श्री ज्ञानप्रकाश जखमी, लखनऊ एवं श्री आर.आर. जैसवार, लोकपाल मनरेगा, लखनऊ के द्वारा अमूल्य सहयोग प्रदान किया गया। वस्तुतः इनके मनोवैज्ञानिक सहयोग के बिना रचना का कर पाना संभव ही नहीं था। सुश्री जाह्नवी वर्मा के पुस्तिका के लिए चित्र तैयार किया गया है। मैं उक्त सभी महानुभावों का हृदय से साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। पुस्तक की समालोचना का स्वागत है। पाठकों की आलोचना हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है।

डॉ. डी.के. वर्मा

आमुख

सदियों की विभेदकारी वर्ण व्यवस्था ने दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा। इन समुदायों को शिक्षा, रोज़गार तथा सामाजिक सम्मान से वंचित रखा गया। दलितों और अन्य छोटी जाति के लोगों को स्कूलों, मन्दिरों तथा अन्य सामाजिक स्थानों तक पहुँच से वंचित रखा गया था। उनकी प्रगति में अनेकानेक अवरोध उत्पन्न किए गए यहाँ तक कि तालाबों में कुत्ते-बिल्ली पानी पी सकते थे, परन्तु उसका पानी दलित नहीं पी सकते थे, यह ऐतिहासिक विडम्बना है। सभी संसाधनों और अवसरों पर उच्च वर्ण के लोगों का एकाधिकार था, उन तक दलितों और पिछड़ों की पहुँच नहीं थी और वे अभावग्रस्त तथा गरीबी में रहते थे। इस प्रकार वे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर रहे।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज तथा बाद में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, रामास्वामी नायकर 'पेरियार' सदृश बहुजन नायकों ने पिछड़ों व वंचितों के उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए तथा तत्कालीन विभेदकारी व विषमतावादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। यह महसूस किया गया कि शासन-प्रशासन में सवर्ण समाज का महत्त्व ही वर्चस्व है तथा उनमें दलितों व पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। लोकराज छत्रपति शाहू जी महाराज ने सर्वप्रथम 1902 में अपनी कोल्हापुर रियासत में सवर्णों की सीमा सीमित कर दलितों और पिछड़ों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और आरक्षण व्यवस्था का जनक कहलाए। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देना था, ताकि सभी वर्गों व समुदायों के मध्य सामंजस्य रहे और वे राष्ट्रीय विकास में शामिल हो सकें।

देश की आज़ादी के उपरांत जब डॉ. अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया तब उन्होंने आरक्षण संबंधी प्रावधान समाहित कर दलितों व पिछड़ों को राष्ट्र के मुख्य धारा से लाने को प्रयास किया और शासन व प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) सरकार को पिछड़ो वंचित समुदायों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान लाने की शक्ति प्रदान करते हैं। संविधान प्रदत्त आरक्षण का अधिकार कोई भीख नहीं है, अपितु इस सिद्धांत पर आधारित है कि समाज में वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु सकारात्मक कदम उठाना राज्य का कर्तव्य है।

डॉ. अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात की, ताकि सामाजिक विषमता कम की जा सके। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित तथा अनुसूचित जातियों को तो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रश्न को टाल दिया गया। पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन कर दिया गया तथा बाद में उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसे कभी सदन पटल पर नहीं रखा गया।

सन् 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को पहचान तथा उनकी स्थिति में सुधार हेतु सिफारिशें करना था।

मंडल आयोग का लम्बे अध्ययन के उपरान्त सामाजिक शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी 3743 जातियों को चिन्हित किया तथा अनुमानित किया कि देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत भाग पिछड़े वर्ग में आता है। आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का

प्रबल संस्तुति की, लेकिन कतिपय राजनीतिक कारणों से यह लागू नहीं की गई तथा इसकी संस्तुतियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

वर्ष 1990 में सामाजिक न्याय के पुरोधा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने संसद में धूल खाती मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया। इस कार्य में बहुजन मनीषी मान्यवर कांशीराम द्वारा उत्पन्न किए गए राजनीतिक दबाव का भी बहुत बड़ा योगदान था तथा तत्कालीन मंत्री श्री शरद यादव और श्री रामविलास पासवान के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने पर भारतीय राजनीति में भूचाल सा आ गया। देशव्यापाी विरोध प्रदर्शन हुए। ऊँची जाति के लोगों द्वारा हिंसक प्रदर्शन, आगजनी आदि भी किए गए। मण्डल आयोग विरोध का मामला अनात उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। इंदिरा साहनी बनाम युनियन ऑफ इंडिया (1990) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया।

इंदिरा साहनी मामला देश में सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीति के लिए मील का पत्थर है। इसने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को वैद्यता प्रदान की, लेकिन दूसरी ओर क्रीमी लेयर के कांसेप्ट (Concept) को लाकर आर्थिक रूप से सक्ष्म पिछड़ो को आरक्षण से दूर रखा तथा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय कर आरक्षण सम्बंधी नीतिगत बहसों का आधार बना दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी किसी का समाज में अपमान और सम्मान जाति के आधार पर ही होता है, आर्थिक आधार पर नहीं, क्योकि विपन्न ब्राह्मण भी पूज्य होता है। यह दु:ख है कि वर्ष 2019 में भारतीय संविधान में 110वां संशोधन कर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर सवर्णों को 10 प्रतिशत देकर उपकृत किया गया है। यह विडम्वना ही है सुदामा कोटे (EWS) पर किसी को आपत्ति नहीं है और न ही कभी कोई विवाद हुआ।

पिछड़े वर्ग के लोगों को माननीय बी.पी. मण्डल के साथ–साथ पूर्व प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रति ॠणी होना चाहिए, जिनके प्रसास से मण्डल आयोग की संस्तुतियों को लागू किया गया। अन्त में मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा यशकायी बाबू बी.पी. मण्डल के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके द्वारा किए उपकारों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

जवाहर सिंह गंगवार, एडवोकेट
पूर्व अध्यक्ष
गांधी संस्थान, फतेहगढ़
फर्रुखाबाद (उ.प्र.) 209601
चलभाष – 9452008022
9686642220
E-mail : jawaharsingh8512@gmail.com

विषय-वस्तु

1.	''क्रीमी लेयर'' एक गलत सिद्धांत!	13
2.	मंडल आयोग की संस्तुतियां	15
3.	ओ बी सी आरक्षण की वर्तमान स्थिति	20
4.	जन्म और बचपन	24
5.	उच्च शिक्षा के साथ सामाजिक कार्य	25
6.	कमजोरों के प्रति संवेदना : सामाजिक विरासत	27
7.	राजनीति और देश प्रेम	29
8.	रामास्वामी पेरियार से मुलाकात :जीवन में नया आयाम	31
9.	कांग्रेस से मोहभंग	33
10.	पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन	35
11.	महापरिनिर्वाण	38

1. ''क्रीमी लेयर'' एक गलत सिद्धांत !

जी हां क्रीमी लेयर एक गलत सिद्धांत है जो पिछड़ों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। इसकी कलई तब खुल गई जब बिना किसी आदेश के ही 60 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया उच्च वर्णों के लिए राजकीय सेवाओं में, 50 प्रतिशत सीधे और 10 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस.। क्रीमी लेयर सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण हैं बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। **देश में व्याप्त भेदभाव आर्थिक नहीं है। यह बहुत मजबूती से जाति से जुड़ा हुआ है।** ऐसे में यदि पिछड़े समाज के सम्पन्न लोगों, राजाओं महाराजाओं को बाहर कर देंगे तो यह आत्म हत्या के समान होगा। यही प्रभु समाज चाहता है कि देश में जो भी अच्छा है वह केवल उसी का हो। पिछड़े समाज से क्रीम (सम्पन्न लोगों) को बाहर कर दिया जाय। यह बहुत बड़ा षडयंत्र है।

वर्ण व्यवस्था कभी आर्थिक आधार पर नहीं रही

देश में संचालित वर्ण व्यवस्था कहीं भी और कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं रही है। इस वर्ण व्यवस्था में और हमारे धर्मग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि शूद्रों को पठन पाठन का अधिकार नहीं है। इसमें यह कहीं नहीं दिया था कि धनी शूद्र अलग है और धनवान शूद्र अलग हैं। शूद्र कितना भी धनवान क्यों न हो जाय परंतु उसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में कोई अलग प्राविधान नहीं है। वह भी दरिद्र शूद्र की तरह ही माना गया है। ऐसे में आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार जोड़ना गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है और असंवैधानिक है।

संविधान यह कहता है कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाय । इसमें आर्थिक शब्द कहीं भी शामिल नहीं है। अतः क्रीमी लेयर का सिद्धांत पूरी तरह गलत और असंवैधानिक है।

भगवान बुद्ध और शाहूजी महाराज की श्रेणी में उत्तर भारत के ऐसे ही महापुरुष हैं बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यदि शाहूजी महाराज आरक्षण के पिता हैं तो बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आरक्षण का पर्याय हैं और जिनके नाम ने संपूर्ण देश की राजनीति विशेष रूप से उत्तर भारत की राजनीति को कम से कम आधी शताब्दी तक संचालित किया और आज भी संचालित कर रही है।

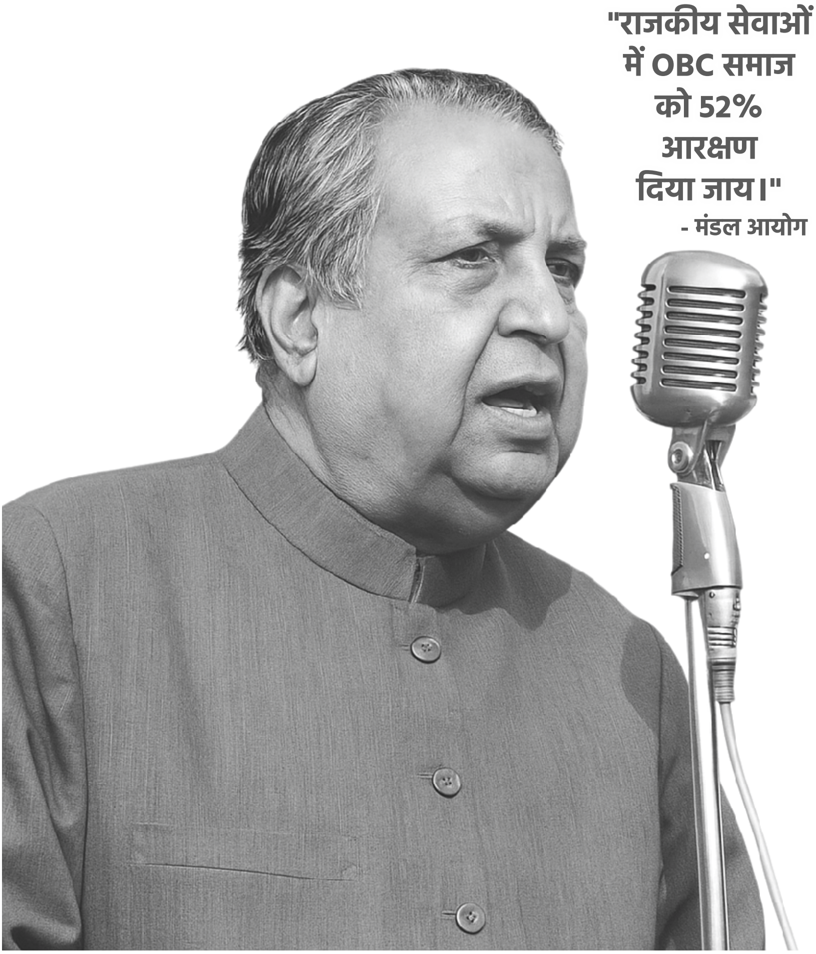

चित्र-01

2. मंडल आयोग की संस्तुतियां

बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित आयोग जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, के द्वारा पूरे देश के समस्त जनपदों में भ्रमण कर देश की समस्त ओबीसी जातियों का चिन्हीकरण किया गया। आयोग के द्वारा ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कुल 40 संस्तुतियां की गईं ।इनमे से प्रधान और सबसे महत्वपूर्ण संस्तुतियां निम्नवत हैं।

1. हिंदू और गैर हिंदू समाजों में जिनका चिन्हीकरण ओबीसी के रूप में किया गया है उन्हे उनकी आबादी के अनुपात में कुल उपलब्ध राजकीय पदों में 52 प्रतिशत पदों पर आरक्षण दिया जाय। खुली प्रतियोगिता और प्रोन्नति दोनो ही दशाओं में आरक्षण दिया जाय। चूंकि उच्च न्यायालय के स्तर से 50 प्रतिशत आरक्षण की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है अतः ओबीसी समाज के लिए समस्त राजकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय। जिन राज्यों ने ओबीसी समाज के लिए 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे रखा है। उन पर यह सीमा लागू नहीं होगी।

   (क) समस्त राजकीय सेवाओं जिनमे वेतन राजकोष से दिया जाता है में खुली भर्ती के समय कुल उपलब्ध सीटों की 27 प्रतिशत सीटें ओबीसी समाज के लिए आरक्षित की जांय।

   (ख) उक्त आरक्षण कोटा राजकीय सेवाओं में प्रोन्नति में भी लागू किया जाय।

   (ग) जो भी ओबीसी कोटा किसी भी कारण से भरा न जा सके उसे तीन वर्षों तक खाली रखा जाय। तीन वर्ष तक न भरे जाने की दशा में ही इसे अनारक्षित किया जाय।

   (घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रविधानित आयु सीमा ओबीसी अभ्यर्थियों पर भी लागू किया जाय।

(ङ) पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टर प्रणाली उसी प्रकार अपनाई जाय जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में अपनाई जाती है।

2. आरक्षण की उपरोक्त योजना को पूर्ण रूप में समस्त राष्ट्रीकृत बैंकों केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में होने वाली सभी भर्तियों में लागू किया जाय।
3. सरकार से किसी भी रूप में सहायता प्राप्त कर रहे निजी प्रतिष्ठानों को भी 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से भर्ती किया जाने को बाध्य किया जाय। इस तरह का कानून बनाया जाय।
4. सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में भी ओबीसी समाज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाय।
5. इन अनुशंसाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए कानूनों, अधिनियमों और नियमों में यथावश्यक संशोधन किए जाय।
6. ओबीसी की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया जाय जिससे अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।
7. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी तकनीकी, वैज्ञानिक, अनुसंधान और व्यावसायिक संस्थानों में ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।
8. सीलिंग अधिनियम से अवमुक्त अधिशेष भूमि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पट्टे के रूप में आवंटित की जा रही हैं को भूमिहीन ओबीसी समाज के लोगों को भी आवंटित किया जाय।
9. ओबीसी समाज के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाया।
10. ओबीसी को राष्ट्र की संपत्ति से वंचित रखना सबसे बड़ी समस्या है। देश का प्रभु वर्ग इनको अपने साथ नहीं रखना चाहता है। मूल प्रश्न सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का है गरीबी इसमें जुड़कर कोढ़ में

खाज का काम करती है। हमारे गांव का संपन्न यादव या कुर्मी भी अपने बच्चों को अपने धंधे में ही लगाए रखना चाहता है और इसके लिए प्रभु वर्ग मानसिक रूप से इन्हे प्रशिक्षित भी करता रहता है। यह इनका सामाजिक पिछड़ापन है।

- सभी तकनीकि संस्थाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।
- सभी विश्वविद्यालयों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।
- Not found Suitable को तीन साल तक खाली रखा जाय।
- सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय।
- रोस्टर प्रणाली अपनाई जाय।
- बैंकों और सरकार के सभी संस्थाओं में भी 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाय।

चित्र-02

11. विशिष्ट शासक वर्ग का इस बात को लेकर विरोध है कि एक गलती की भरपाई करने के लिए दूसरी गलती उचित नहीं हैं। यहाँ प्रश्न गलती का नहीं है। यहाँ प्रश्न राष्ट्र की संपत्ति में वंचितों को अधिकार देने का है। यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो उन्हें रोजगार देने से संबंधित हो या रोजगार दे देने से ठीक हो जाता हो। यहाँ प्रश्न वर्ण व्यवस्था से उपजी मानसिक और धार्मिक गुलामी का है जो देश की एक बड़ी संपत्ति को नष्ट कर रही है। यदि देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग को और उसकी प्रतिभा को अवसर नहीं दिया जाएगा तो देश एक बार पुनः गुलामी के दौर में पहुंच जाएगा। शासक वर्ग की ईर्ष्या का प्रश्न बिलकुल बेमानी है यही तो आयोग का उद्देश्य है कि इस ओबीसी संवर्ग को राष्ट्र के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाय। इनकी प्रतिभा को वर्ण व्यवस्था की चक्की में पीस कर कृषि और अनुषंगी ब्यवसायों में दफन कर दिया गया है। यहाँ से इन्हे बाहर निकाल कर लाना ही आयोग का कार्य है।
12. विशिष्ट शासक वर्ग के द्वारा ऐसे बेतुके तर्क दिए जाते रहे है कि इनकी अपार जन संख्या को देखते हुए कुछ हजार लोगों को राजकीय नौकरियां दे देने से समाज का उत्थान नहीं हो जायेगा! यह प्रश्न

बेमानी है।

''राजकीय सेवाएं सत्ता और शक्ति की प्रतीक होती हैं।''

वर्ण व्यवस्था की शोषक और अत्याचारी व्यवस्था को समाप्त करने का मात्र यही एक सबसे सरल तरीका है। सांस्कृतिक रूप से पिछड़े समाज का एक व्यक्ति यदि राजकीय सेवा में आता है तो केवल उसका ही नहीं वरन उसके पूरे खानदान, मोहल्ले और समाज का सामाजिक, नैतिक ,चारित्रिक और सांस्कृतिक उत्थान होता है।

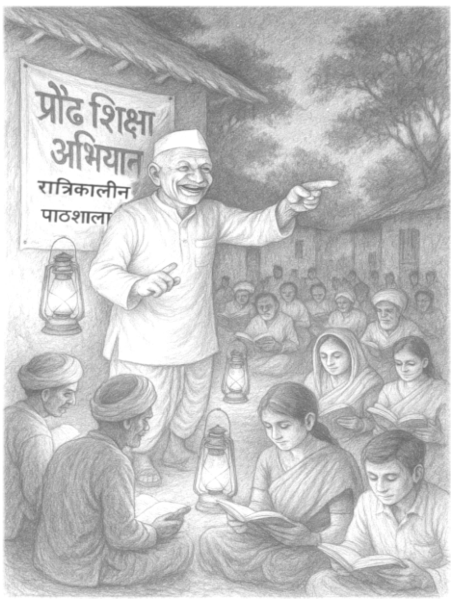

चित्र-03

13. यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र और समाजवाद का संविधान लागू होने के बाद भी सामाजिक और सांस्कृतिक समानता नहीं लाई जा सकी है। इस सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के लिए ऐसे समाजों जिनके लिए पढ़ना लिखना समय की बरबादी लगती हो के नैतिक उत्थान के लिए आवश्यक है कि जो भी हो उन्हे राजकीय सेवाओं में विशेष व्यवस्था कर स्थान दिया जाय। जिससे उन्हें यह लगे कि वर्ण व्यवस्था में उनको दिया गया स्थान गलत है वह भी अपने परंपरागत ब्यवसाय को छोड़ कर शिक्षा, कला, अभियंत्रण

और शासन में भाग ले सकते हैं।

14. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय को देश के शासन में भाग लेने के वैध अधिकार प्राप्त हैं, में कोई भी ऐसी स्थिति जिसमे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपना अधिकार न प्राप्त कर पा रहा हो तो उसमे सुधार की आवश्यकता है।

15. विरोधी शासक या प्रभु वर्ग यह दावा करता है कि इस व्यवस्था के तहत अधिकांश सुविधाओं का उपयोग ओबीसी समाज के संपन्न वर्ग के द्वारा ले लिया जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है वरन यह अत्यंत कुत्सित और घृणित मानसिकता की द्योतक है जिसमें प्रभु वर्ग केवल यही चाहता है कि हमारा हलवाहा सदियों तक हमारे घर हलवाही करता रहे । उसने अगर पढ़ लिया और सरकारी नौकरी कर ली तो हमारे खेत कौन जोतेगा? निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ तो उन्हे ही लेना है जो पढ़ लिख गए हैं और जो उसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम ऐसे समाज जिनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है को आरक्षण दे देंगे तो वह तो वहां पहुंच ही नहीं पावेंगे और उसका लाभ अंततः प्रभु वर्ग ले लेगा।

एससी, एसटी आरक्षण में यही हुआ है और इसी कारण से शासक वर्ग को इनके आरक्षण से कोई कष्ट नहीं है। शासक वर्ग को ओबीसी आरक्षण से कष्ट इसी बात से है कि वह इसका पूरा लाभ उठा कर आगे बढ़ जायेंगे।

16. जहां तक योग्यता का प्रश्न है हमें यह समझना होगा कि 1930– 40 के दशक में शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से आज की तुलना में बहुत पीछे था और आज के 50 वर्ष के बाद शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा। प्रशासन तब भी चल रहा था आज भी चल रहा है आगे भी चलेगा और चलता रहेगा । यह काफी कुछ प्रशिक्षण पर निर्भर करता है और न्यूनतम योग्यता वह धारित करता है अतः प्रशासन की कार्य कुशलता प्रभावित होने का प्रश्न अनुचित है।

3. ओ.बी.सी. आरक्षण की वर्तमान स्थिति

हमारा संविधान और मंडल आयोग कहता है कि कमजोरों को संरक्षण दिया जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, राजकीय सेवा में नहीं हैं, खेती और उससे संबंधित ब्यवसायो से जुड़े हैं, पढ़ने लिखने में पीछे रह गए हैं, उन्हें राजकीय सेवाओं और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण दिया जायेगा। जिससे वह भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों। इसी आशय से यह विशेष व्यवस्था की गई थी और विधान में यह लिख दिया गया था कि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष आरक्षण दिया जायेगा जिसमे प्रत्येक भर्ती में यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक दशा में 27 प्रतिशत पद ओबीसी समाज और 23 प्रतिशत पद एससी एसटी समाज को दिए जाय। उसके लिए यह नियम बनाया गया कि 50 प्रतिशत पद अनारक्षित रहेंगे। जिसमे सभी समाजों के अभ्यर्थी लिए जायेंगे जिनके नंबर अधिक हैं या जो पढ़ने में तेज हैं। इस 50 प्रतिशत पद भर जाने के बाद 27 प्रतिशत पद ओबीसी समाज से लिए जाएंगे और 23 प्रतिशत पद SC, ST समाज से लिए जायेंगे। जिससे आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

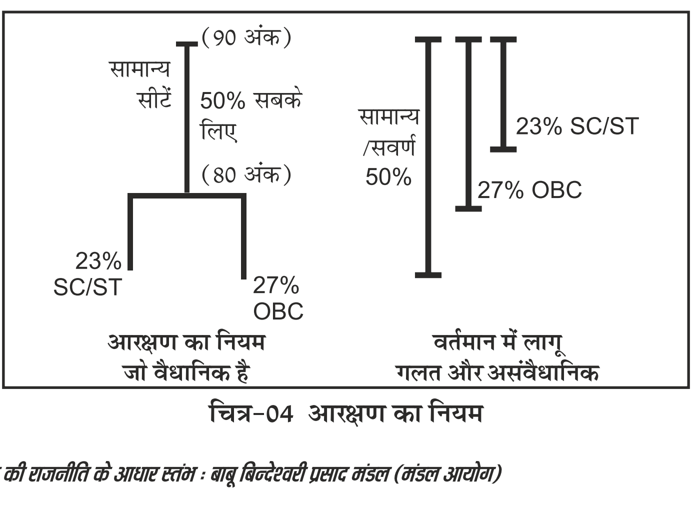

चित्र-04 आरक्षण का नियम

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। मान लें 100 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा हुई और उसके उपरांत भर्ती शुरू हो गई। अब जो अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे नौकरी दी जाएगी। इसका एक नियम है। चूंकि आरक्षण कमजोरों को दिया गया है अत: सबसे पहिले 50 प्रतिशत अनारक्षित पदों पर भर्ती की जाती है। बहुत ही सरल शब्दों में जिसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं उसे अनारक्षित वर्ग में जगह दी जाती है चाहे वह किसी भी समाज का अभ्यर्थी हो। इस वर्ग की सीटें भर जाने बाद ओबीसी और एससी एसटी समाज की सीटों पर भर्ती की जाती है। अर्थात अनारक्षित वर्ग के आखिरी मेरिट से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को यहाँ जगह दी जाती है।

मान लेते हैं कि पूरी परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को सबसे अधिक अंक 90 प्राप्त हुए।इसी परीक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी को 80 अंक प्राप्त हुए हैं। अब सबसे पहले इस अनारक्षित वर्ग में सभी को जगह दी जाती है चाहे वह किसी भी समाज का आदमी हो। अब ओबीसी संवर्ग से ऐसे 27 अभ्यर्थी लिए जायेंगे जिन्होंने 80 से कम अंक प्राप्त किए हों। इसी प्रकार से एससी एसटी समाज से 23 अभ्यर्थी इस तरह के लिए जायेंगे जिन्होंने 80 से कम अंक प्राप्त किए हैं।

यह आरक्षण का नियम है वर्तमान में कतिपय तत्वों ने इस नियम में व्यावहारिक परिवर्तन कर दिया, बिना कोई आदेश किए। परिवर्तन यह किया गया कि सबसे पहले आरक्षित वर्ग, ओबीसी एससी की आरक्षित सीटों पर भर्ती कर ली जाती है। इन वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हों भले ही वह टॉप भी कर गए हैं को सीट दी जाती है। इस तरह से 27 सीटें भर ली जाती है और 23 सीटें एससी एसटी समाज से भर ली जाती है। अब अवशेष बची 50 सीटों पर सवर्ण समाज के अभ्यर्थियों से पूरी कर ली जाती है या उन अभ्यर्थियों से पूरी कर ली जाती है जिन्होंने अपने आपको सामान्य संवर्ग में दर्शाया हो। अर्थात 50 सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित कर ली जाती है। अनारक्षित वर्ग की सीटों पर कोई भी ओबीसी एससी एसटी समाज का अभ्यर्थी जगह नहीं पाता। मतलब आरक्षण था समाज के कमजोर वर्गों का ओबीसी का एससी एसटी

का इसके बदले में 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण कर दिया गया सवर्णों का जो पहले से ही शक्तिशाली थे।

इसका ज्वलंत उदाहरण है 69000 शिक्षकों की भर्ती जिसमे ओबीसी संवर्ग की मेरिट अनारक्षित वर्ग से ऊपर निकल गई। ऐसा तभी हो सकता है जब अनारक्षित श्रेणी आरक्षित कर दी जाय सवर्ण संवर्ग के लिए। इस भर्ती में ऐसा भी हुआ कि 140 अंक प्राप्त कर सवर्ण संवर्ग को नौकरी मिली और 160 अंक प्राप्त कर OBC अभ्यार्थी को नौकरी नहीं मिल पायी।

यह है ओबीसी आरक्षण की वर्तमान स्थिति केवल राजकीय सेवाओं में। राजकीय सेवाओं से अलग बैंक, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, भारत सरकार के उपक्रम आदि में आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

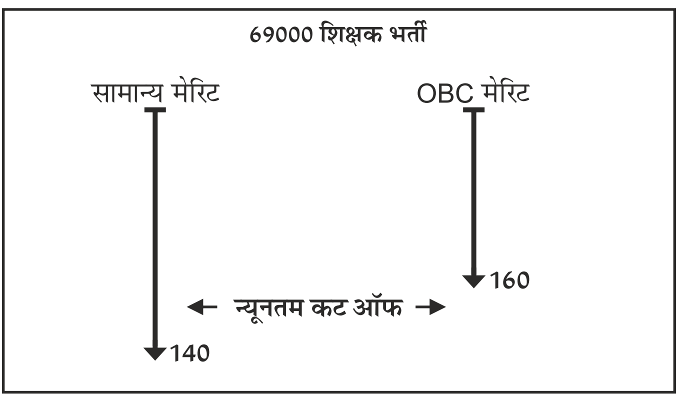

चित्र-05 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की स्थिति

बिना पढ़े सब पास

आरक्षण की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए यह तथ्य बहुत ही समीचीन है कि हम आरक्षण की बात तब कर सकते हैं जब हम उस योग्य हो जाय, कि राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता धारित करते हों। यहां हम बात कर रहे हैं न्यूनतम योग्यता धारित करने की अर्थात माध्यमिक अथवा स्नातक। राज्य में एक नियम बना है कि कक्षा

आठवीं तक किसी को फेल न किया जाय। मतलब सभी को पास कर दिया जाय। चाहे वह पास होने लायक हो या न हो। आठवीं तक हमने सबको पास कर दिया उसके बाद क्या होगा? हाइ स्कूल में सब फेल हो जाएंगे। जब बालक ने आठवीं बिना पढ़े पास कर ली तो दसवीं में फेल होना निश्चित है। यह नियम अभी भी बना हुआ है और प्रभाव में है। अर्थात यह व्यवस्था बना दी गई है कि बहुजन समाज के बच्चे आठवीं कक्षा से आगे बढ़ ही न पावे। ऐसे में उनके लिए राजकीय सेवा की बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

4. जन्म और बचपन

चित्र-06

बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जन्म अत्यंत संपन्न परिवार में 25अगस्त 1918 को हुआ था। उनके पिता श्री रास बिहारी मंडल मधेपुरा में मुरहो स्टेट के जमींदार, प्रतिष्ठित अधिवक्ता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। माता जी श्रीमती सीतावती मंडल साधारण गृहिणी थीं। बाबूजी का बचपन बहुत ही ऐश्वर्य पूर्ण माहौल में बीता। एक संपन्न परिवार को जो चाहिए था उससे बहुत अधिक सुविधाएं थीं उनके घर में। उनकी प्रारंभ शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। बाबूजी प्रारंभ से ही प्रखर मेधा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। अपने पाठ को वह सबसे पहले तैयार कर लेते थे। वह जो भी एक बार पढ़ लेते थे उन्हें वह याद हो जाता था ।इसी कारण वह विद्यालय में शिक्षकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। बचपन से ही सर्व साधन संपन्न होते हुए भी उनका झुकाव कक्षा के कमजोर बच्चों की ओर अधिक रहता था।

महानता के गुण उन्हें विरासत में प्राप्त हुए थे। उनकी मित्रमंडली में कोई बनतू या घमंडी तरह का बालक नहीं था। कमजोर की सहायता करना उन्हे बचपन से ही अच्छा लगता था। एक बार की बात है उनकी कक्षा में पढ़ने वाले एक बालक का नाम फीस न जमा कर पाने के कारण काट दिया गया। वह बच्चा घबरा कर रोने लगा। अवकाश के बाद वह उसके पास गए और और बहुत ही प्यार से पूछा कि क्यों फीस नहीं जमा की तुमने? उसने बताया कि पैसा न होने के फीस नहीं जमा हो पाती है। उन्होंने यह बात अपने पिता से बताई। पुत्र की मंशा को देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सचिव से कह कर उसके पूरे वर्ष की फीस जमा करवा दी। बिंदेश्वरी बाबू के मन में गरीबों के प्रति बहुत करुणा थी वह अक्सर मेधावी और निर्धन बच्चो की मदद किया करते थे।

5. उच्च शिक्षा के साथ सामाजिक कार्य

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वह पटना आ गए। वह कुशाग्र बुद्धि के थे। राजकुमार थे ही अंग्रेजी सहित कई भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। अत: बिहार के बड़े अधिकारीऔर नेताओं तक उनकी पहुंच आसानी से हो जाती थी। अत: वह हर समय इसी में लगे रहते थे कि कानून बनाकर किस तरह समाज की सेवा की जाय।

चित्र-07, जिला परिषद के सदस्य बने
मात्र 17 वर्ष की आयु में

उन्होंने बिहार के तत्कालीन गवर्नर डेविड सिफ्टन से मिल कर 1935 के एक्ट में पिछड़ों के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण,शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य न किए जाने और विधान परिषद में पिछड़ों और अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी।

अपनी मुलाकात में उन्होंने गवर्नर से साफ साफ कहा कि समाज का यह वर्ग सदियों से हिंदुओं के कानून के हिसाब से कानूनन जबरदस्ती सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से शिक्षा और संपत्ति से वंचित

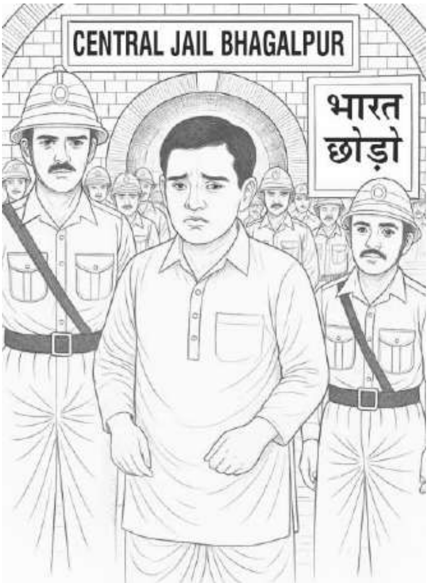

चित्र-08, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए

किया गया है अतः इनका विकास ब्राह्मणों के साथ नहीं हो सकता ही। इन्हे पृथक निर्वाचन दिए बिना इनका कल्याण होने वाला नहीं है।

17 वर्ष की उम्र में 1940 में भागलपुर जिला परिषद के सदस्य बने

इस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। वर्ष 1940 में वह भागलपुर जिला परिषद के सदस्य बने। उन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े भाई कमलेश्वरी प्रसाद और 1500 लोगो केसाथ गिरफ्तारी दी और जेल गए। पुनः 1944और 1946 के आन्दोलन में हजारों लोगों के साथ में वह जेल गए। 6 दिसंबर 1946 को उनके बड़े भाई बाबू कमलेश्वरी प्रसाद मंडल संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य चुने गए थे। विश्वविद्यालय की डिग्री मिलते ही वह नागरिक सेवा में चयनित हो गए। वह 1945 से 1950 तक मैजिस्ट्रेट के पद पर रहे।

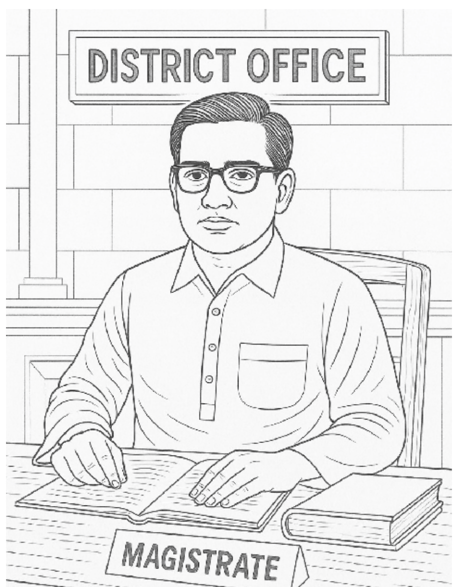

चित्र-09, राजकीय सेवा में मजिस्ट्रेट रहे

6. कमजोरों के प्रति संवेदना : सामाजिक विरासत

गरीबों, शोषितों और निरीह मानवता के प्रति हमदर्दी बाबूजी को विरासत में मिली थी। उनके पिता बाबू रास बिहारी मंडल सामाजिक अत्याचारों को भली प्रकार समझते थे। चूंकि उस समय और आज भी वर्ण व्यवस्था की लूटमार प्रणाली के अनुसार भी जो कुछ भी अच्छा था या हो सकता था, पर ब्राह्मणों का अधिकार था। इसी कारण सारी बुद्धि और विकास पर उन्ही का एकछत्र कब्जा था। उस समय भगवान बुद्ध का साहित्य पूरी तरह समाप्त हो चुका था और यह मान लिया गया था कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का कारण उनका जनेऊ है। अतः प्रज्ञा से प्रहार करते हुए उन्होंने सभी शूद्र जातियों को जनेऊ पहनाने का अभियान चलाया। बहुत विरोध हुआ और तो और उनके अपने समाज ने भी विरोध किया। परंतु बाबू रास बिहारी ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। जनेऊ आंदोलन के बाद 1909 मे मार्ले मिंटो सुधारो के तहत शाहूजी महाराज के साथ बाबू रास बिहारी लंदन गए और वहां सरकार से राजकीय सेवाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने राजकीय सेवाओं में शूद्र समाज के लिए आरक्षण और विधान सभाओं में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इस तरह की मांग उन्होंने अपने पत्रों के मध्यम से कई बार ब्रिटिश सरकार से की।

बाबू रास बिहारी मंडल 1910 में स्थापित बिहार कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे।

वह 1907 से 1918 तक आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य रहे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद बाबू रास बिहारी जी के शिष्य थे। अपने समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मधेपुरा में वर्ष 1911 गोप महासभा की स्थापना की।

1911 में गोप महासभा की स्थापना

इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़कर यादव, कुर्मी, कोइरी, माली, गोंड, दुसाध, चमार, प्रजापति, धानुक, आदिवासी, दलित और मुसलमान सदस्य होते थे। इस महासभा का विस्तार संयुक्त प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक था। वर्ष 1917 में बाबू रास बिहारी जी ने शाहूजी महाराज के साथ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के समय पिछड़ों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की भी मांग की थी। जिसे कालांतर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा के लिए 1932 में स्वीकार किया गया था।

उनके बड़े भाई बाबू कमलेश्वरी प्रसाद भी समाज सेवा में पिता रास बिहारी मंडल से कम नहीं थे। 1930के आंदोलन में जय प्रकाश नारायण और डा राजेन्द्र प्रसाद के साथ वह भी जेल गए थे। उस समय बाबू बिंदेश्वरी की उम्र 12 वर्ष थी। बड़े भाई बाबू कमलेश्वरी प्रसाद 1937 में बिहार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य रहे थे।

7. राजनीति और देश प्रेम

बाबूजी बहुत समय तक राजकीय सेवा में रह नहीं सके। राजकीय सेवा का पद उनके कद के हिसाब से छोटा पड़ता था। राजकीय सेवा का पद उनको रास नहीं आया। जमींदार परिवार से थे ही आर्थिक कोई समस्या थी नहीं सो वह इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

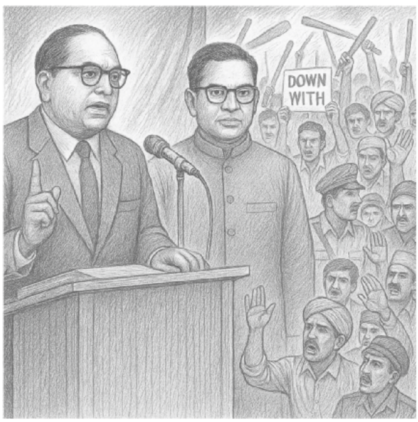

चित्र-10, डॉ. अम्बेडकर के भाषण में उपद्रव

बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद के मन में देश के धार्मिक रूप से शोषित समाज के प्रति गहरी संवेदना थी। **उन्होंने 06 नवंबर 1951 को बाबा साहब डा भीमराव अम्बेडकर को भाषण देने के लिए पटना बुलाया था। हमारे समाज की प्रतिक्रिया देखिए। बाबा साहब के भाषण का कार्यक्रम सुनते ही पचासों की संख्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के उपद्रवी लोग कार्यक्रम में हंगामा करने पहुंच गए।**

उन्होंने हथियारबंद हो कर हमला किया जबकि बाबू जी शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम कर रहे थे। परंतु बाबूजी अपने राज्य के इन सामंतों से परिचित थे अत: उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। उनके स्वयं सेवकों ने सारे

उपद्रवियों को मार पीट कर सभा स्थल से भगाया। मतलब वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे समाजों के लोगों को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कुछ पैसा नीचे वाला भी पा जाय। समाज के कमजोर तबकों से इतनी बड़ी दुश्मनी हमारे अपने पुरोहितों ने की।

बाबूजी 1952 और 1961 में कांग्रेस की ओर से विधान सभा के सदस्य रहे। वह 33 वर्ष की आयु में विधान सभा चुनाव जीतकर पहलीबार 1952 में विधायक बने थे। बाबूजी हमेशा ज्ञान प्राप्ति और नए नए कामों में लगे रहते थे। उन्हें भ्रमण और देशाटन बहुत पसंद था। भ्रमण करना और जीवन के नित नए आयाम खोजते रहना उनका प्रिय शगल था।

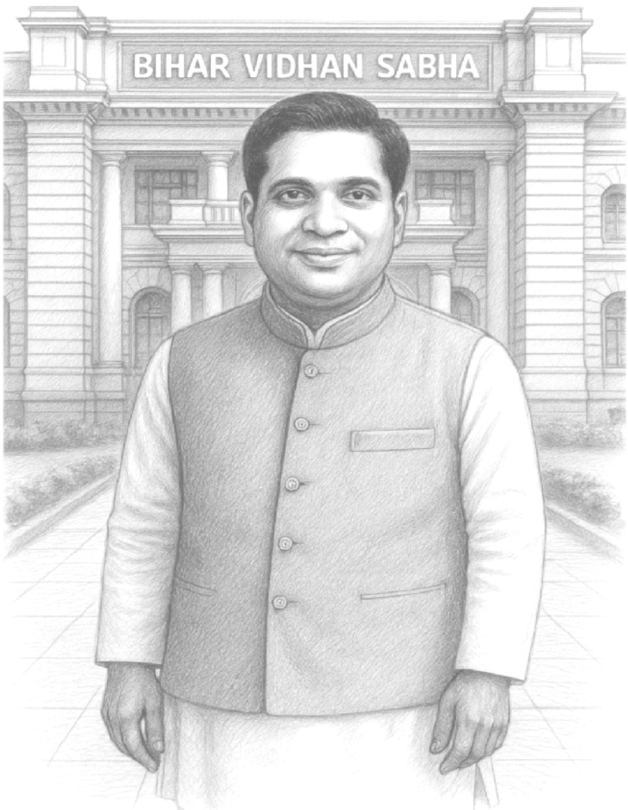

चित्र–11, बिहार विधान सभा में

8. रामास्वामी पेरियार से मुलाकात : जीवन में एक नया आयाम

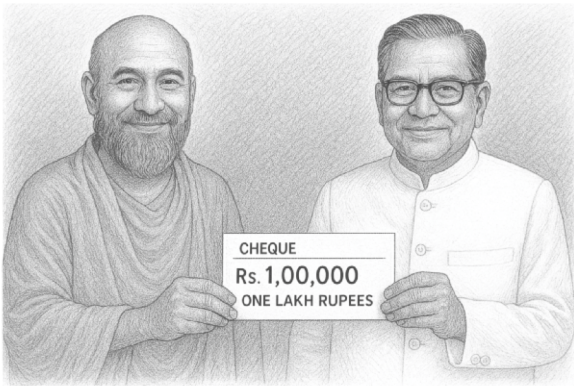

चित्र-12, पेरियार रामास्वामी को चेक देते हुए

अपनी इसी धुन में वह वर्ष 1963 में तमिलनाडु जा पहुंचे । वहां उन्हें महात्मा रामास्वामी पेरियार से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर और उसके नाम पर सारा ढोंग पाखंड केवल लोगों को बेवकूफ बनाने और उन पर शासन करने के लिए है। वह महात्मा पेरियार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्समय रू 1,00,000.00 की सहायता उनके मिशन को की । वहां से लौट कर उन्होंने अपने प्रासाद से देवी देवताओ की सारी मूर्तियां फिंकवा दीं और इस मकड़जाल से निकलने का रास्ता खोजने लगे। इसी उधेड़बुन में उन्हे अपने पिता का जनेऊ आंदोलन याद आया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण पुरोहितों का जाल तोड़ने के लिए पुरोहितों के चिन्हों को नष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहले उन्होंने अपने घर में सारे कर्मकांड बंद कराए और ब्राह्मणों की निशानी जनेऊ को नष्ट करने का अभियान चलाया और पुरोहित मुक्त भारत के निर्माण में लग गए। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि उनके पिता ने जनेऊ पहनने का अभियान चलाया था और उन्होंने जनेऊ तोड़ने का। यह अपने

आप में विरोधाभास है जबकि दोनो का उद्देश्य एक ही था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जो कुछ भी अच्छा था उस पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। भगवान बुद्ध की तर्क बुद्धि धरती की अतल गहराइयों में दबा दी गई थी। आज भी समाज के अभियंता, चिकित्सक, वकील, नौकरशाह सभी को ताकत मंदिरों में घंटा बजाए बगैर नहीं मिलती। उस समय भी वर्ण व्यवस्था से हट कर काम करने वालों को सलाह देने वाले भी वही थे। उन्होंने सलाह दी थी कि सब लोगों को जनेऊ पहना दो तो सब बराबर हो जायेंगे। मतलब एक आदमी यदि पेड़ पर उल्टा लटका है तो सभी को उल्टा लटका दो सब बराबर हो जायेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो आदमी पेड़ पर उल्टा लटका है उसे नीचे उतार कर सीधा कर दिया जाय और बताया जाय कि उल्टा लटकने से कोई लाभ नहीं है। अब चूंकि महात्मा पेरियार तर्क बुद्धि पर भरोसा करते थे अतः जब बाबूजी का उनसे साक्षात्कार हुआ तो उन्हे असलियत पता चली। वह गुमराह होने से बच रहे और उन्होंने जनेऊ तोड़ने का अभियान चलाया। इसी अभियान में उन्होंने पेरियार के आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन को उत्तर भारत में आगे बढ़ाया। उन्होंने देश के सभी हिस्सों उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आत्मसम्मान आंदोलन की सभाएं आयोजित करवाई।

9. कांग्रेस से मोहभंग

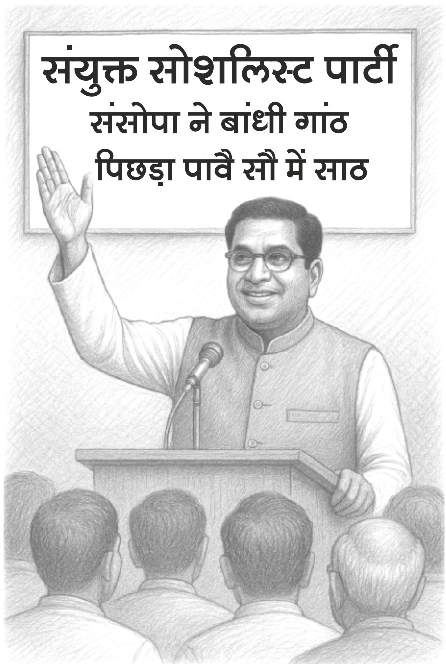

चित्र–13

बाबूजी दो बार कांग्रेस से विधायक रहे परंतु उनके क्रांतिकारी दिमाग को वहां शांति नहीं मिली। वह जब तक कांग्रेस में रहे उद्विग्न ही रहे। कांग्रेस पार्टी की राजशाही और गरीबों पिछड़ों के प्रति उसका दिखावटी रवैया देखकर उनका मन खट्टा हो गया। अंतत: उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 1965 में मधेपुरा से सांसदी का चुनाव लडा और सांसद बने। 1967 में संयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे और उन्होंने 1967 के चुनावों में अपने प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में 1967 में उनकी पार्टी ने 67 सीटें जीती। पिछले चुनावों में जहां उनकी पार्टी मात्र 7 सीटें जीत पाई थी वहीं

उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई गुना प्रगति की। 1967 की सरकार में बाबूजी स्वास्थ्य मंत्री थे। इसी सरकार में बाबू कर्पूरी ठाकुर उप मुख्य मंत्री थे, महामाया प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ से वह दो बार सांसद रहे। पहली बार 1967 से 1968 तक और दूसरी बार 1977से 1979 तक। 1968 में वह विधान परिषद के सदस्य हुए और प्रदेश के मुख्य मंत्री बने।

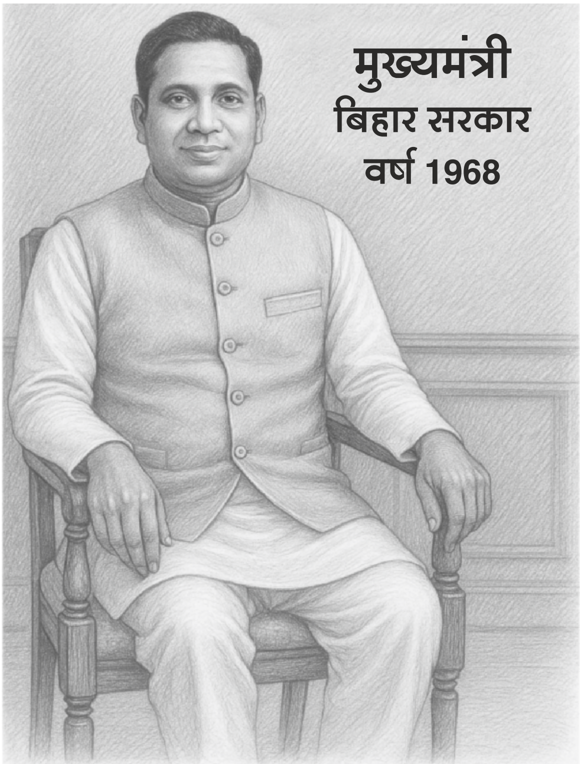

चित्र–14

10. पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

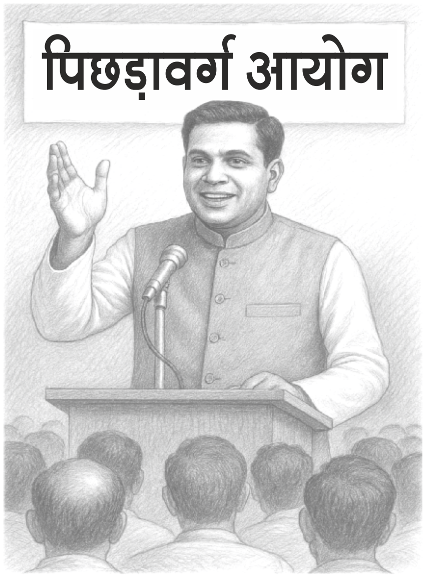

चित्र-15

दिसंबर 1978 में प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16,(4) और अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की । बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष बनाए गए। तत्काल ही बाबूजी अपनी टीम के साथ देश के दौरे पर निकल गए। एक माह योजना बनाने में लगा और फरवरी 1979 से जून 1980 तक बाबू जी ने रात दिन अथक परिश्रम कर देश के 407 जिलों में से 406 जिलों का दौरा कर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समाजों का अध्ययन किया और अपनी संस्तुतियां दीं।

31 दिसंबर 1980 को यह रिपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजकीय सेवाओं में ओबीसी समाज को 52

प्रतिशत आरक्षण इस आयोग की मात्र एक सिफारिश है। आयोग की दूसरी सिफारिश थी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करना। इस प्रतिवेदन के मूल बिंदुओंकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

जब आयोग की सिफारिशों आईं उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अतः एक बार फिर आयोग की सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ गई। एक बार फिर पुरानी कहानी दोहराई गई। इसके पहले भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे चूंकि वह राजनैतिक पृष्ठभूमि के नहीं थे, पूना के ब्राह्मण थे और वर्ण व्यवस्था के पक्के समर्थक थे, और समाज में किसी भी बदलाव के धुर विरोधी थे।

काका कालेलकर आयोग

मतलब भेड़िए से कहा गया था कि भेंड़ के कल्याण और संवर्धन की योजना बनाओ। अतः काका कालेलकर रिपोर्ट क्या हो सकती थी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से कमजोर थी और उसका इंप्लीमेंटेशन भी कमजोर था या यों कहें मात्र दिखावे के लिए था। इस आयोग का गठन 1952 में किया गया था। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बाबा साहब की मांग पर इस आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी संस्तुतियों में कहा कि समाज के पिछड़े वर्गों में पहिले से चिन्हित खेती और उसके अनुषंगी ब्यवसायों जो उनके साथ सदियों से चले आ रहे हैं से बहुत लगाव है और यह उनके लिए बहुत ही सम्मान का पेशा है।

यदि उन्हें अपने **पुश्तैनी पेशे से अलग किया गया तो वह विद्रोह कर दंेगे। अतः उन्हें अपने पुश्तैनी व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कराने की योजना बनाई जानी चाहिए। जैसे कृषि और अनुषंगी ब्यवसायों में उन्हे प्रशिक्षण देकर गांव में ही योजित करना चाहिए। यही कुटीर उद्योगों का भी मर्म था। जो महात्मा गांधी का सपना था।** अतः इससे सबक लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री

मोरार जी देसाई ने उस समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व और नेता जो पिछड़े समाज से आते हों में से बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को समिति की अध्यक्षता के लिए चुना। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आगे चलकर यह आयोग उनके नाम मंडल के नाम से जाना जाने लगा।

मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने में 10 साल लग गए। देश ऋणी है बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते ही मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया और देश में मानवता के उत्थान का वह सपना कुछ कुछ साकार हुआ जो बाबा साहब ने 1952 में देखा था।

दिनांक 07 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने मंडल आयोग को सिफारिशें लागू कर दीं। इसकी मात्र एक सिफारिश ही लागू हो पाई कि उसका कितना विरोध किया सवर्ण समाज ने यह कहीं भी छिपा नहीं है।

11. महापरिनिर्वाण

अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद से बाबूजी इनको लागू करवाने के लिए सतत प्रयास करते रहे। बिहार राज्य में तो 26 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही लागू था ।परंतु अन्य राज्यों की स्थिति कमजोर थी। बिहार के नेताओं के प्रयास के बावजूद उस समय तक पिछड़ा वर्ग सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत पीछे था। इस समय कोई भी समाचार पत्र पिछड़ों की बात सुनता या लिखता नहीं था।

समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं ही जनता की आवाज होती है। आम जनता वही पढ़ती और समझती है जो किसी रूप में उनके सामने आता है। कोई भी तथ्य कितना भी मूल्यवान क्यों न हो यदि वह जनता के सामने नहीं आ पाता है तो उसका समाप्त होना तय है।

शाहूजी महाराज, बाबू कर्पूरी ठाकुर, बाबू पी पी मंडल के कार्य आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए कि उनका मीडिया में कोई प्रभाव नहीं था। प्रभाव अर्थात उनकी अपनी मीडिया नहीं थी। वह अभी भी सवर्ण मीडिया के भरोसे थे। इस समय तक मध्य वर्ग का उदय तो हो चुका था परंतु लेखनी प्राप्त करने में अभी और समय लगने वाला था।

वर्ष 1982 के प्रारंभ से बाबू जी अस्वस्थ रहने लगे थे। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान से उनका इलाज भी चल रहा था। उनका स्वास्थ्य इतना खराब नहीं हुआ था कि उन्हे अस्पताल में भर्ती होना पड़े। दवाओं से उन्हे आराम था और वह अपने लेखन और सामाजिक कार्य में लगे रहते थे। उनके सामाजिक कार्य का दायरा बहुत बड़ा था। वह दर्जनों समितियों के अध्यक्ष थे। उनको अपने संगठन का अध्यक्ष पद देकर राजनेता गौरवान्वित होते थे। दिनांक 13 अप्रैल 1982 का दिन भी एक सामान्य दिन की तरह का ही था परंतु किसी को भी यह नहीं पता था कि वर्ष 1982 के बसंत की 13 तारीख को कितना बड़ा संकट आने वाला था। और दिनों के विपरीत यह दिन करोड़ों भारतीयों के लिए बहुत मनहूंस साबित हुआ। दोपहर को भोजन के पश्चात बाबूजी को सीने में दर्द महसूस हुआ। उनके बड़े बेटे इस समय उनके पास ही थे। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक बाबूजी के नाम का सूर्य दोपहर में ही

अस्त हो गया। मात्र 64 वर्ष की आयु में बाबूजी का निधन देश के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हुआ। उनके परिनिर्वाण की खबर सुनते ही समूचे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे बिहार में तो जैसे मातम फैल गया था। बाबूजी ने देश की 70 प्रतिशत आबादी की आवाज उठाई थी। इस समय वह देश की आवाज बन चुके थे। उनके निवास पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हर आदमी अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए आतुर था। कानून व्यवस्था को बहुत मुश्किल से स्थानीय प्रशासन ने संभाला था। अगले दिन उनकी शव यात्रा निकली।

बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे उनके अंतिम दर्शन करने और अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग जगह-जगह समूह बना कर एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। इतनी लंबी शव यात्रा आज के तीस साल तक पहले कभी देखी नहीं गई थी बिहार में। तत्कालीन सभी बड़े नेता शामिल हुए थे इस यादगार अंतिम यात्रा में।

बिहार सरकार ने बाबूजी की याद में कई पुरस्कार प्रारंभ किए। बाबूजी आज की तारीख में भी पिछड़ों की एकता के प्रतीक हैं। अपने देश की बात अलग है। यहाँ वही लोग आगे बढ़ पाए हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का पोषण किया अर्थात अत्याचारी व्यवस्था में शामिल हो गए। यदि उन महापुरूषों की बात की जाय जिन्होंने सदियों से कानून बनाकर पीड़ित, दमित, शोषित और अपने देश भाईयो से उत्पीड़ित मानवता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, और आज पिछड़ों के नाम का पर्याय बन गए वह नाम आज भी जीवंत हैं ''बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल''।

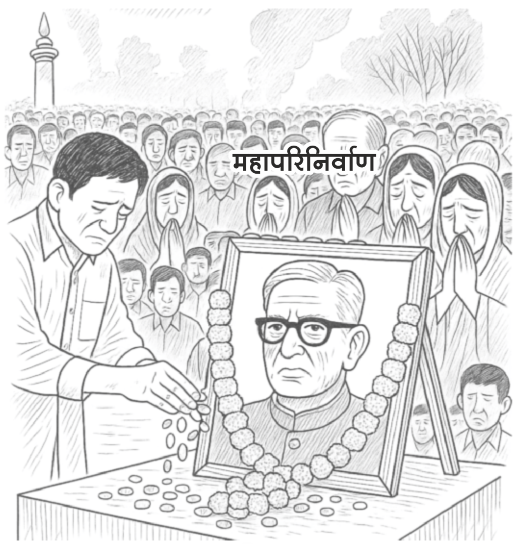

13 अप्रैल 1982
चित्र-16

बुद्ध अम्बेडकर कल्याण एसोसिएशन उ.प्र. (रजि.)

प्रकाशन द्वारा प्रकाशित (ISBN) एवं अन्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक / रचनाकार	मूल्य
1.	जिन्दाबाद जेलखाना (रूबाइयों में)	डॉ. माता प्रसाद	70.00
2.	सुराही (लघु कथा)	डॉ. पूरन सिंह	60.00
3.	सामाजिक क्रांतिकारी प्रजापति संतराम बी.ए.	संकर्षण प्रजापति	70.00
4.	कुम्हारों की मनोदशा	संकर्षण प्रजापति	80.00
5.	महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग	डॉ. अमर सिंह	35.00
6.	बोधिवृक्ष की छांव में	डॉ. अमर सिंह	35.00
7.	कवि सुंदरलाल (कविता)	डॉ. अरविन्द कुमार	35.00
8.	दुस्साहस (कविता)	डॉ. अरविन्द कुमार	80.00
9.	यादों के झरोखे से (आत्मकथा)	डॉ. एम.डी. इंगोले	70.00
10.	कछुआ सा सिमटा दलित (गजल संग्रह)	संतोष कुमार	50.00
11.	जनवादी लेखक एवं इतिहासकार एस.के. पंजम	ज्ञानप्रकाश जखमी	30.00
12.	सत्य ज्ञान अमर बोध	डॉ. अमर सिंह	30.00
13.	राजनीति की पचसई	डॉ. माता प्रसाद	40.00
14.	परिश्रम का चमत्कार (कविता)	हुब राज	50.00
15.	धर्म परिवर्तन (नाटक)	डॉ. माताप्रसाद	50.00
16.	राजनीति और दलित साहित्य के योद्धा	ज्ञानप्रकाश जखमी/ डॉ. माता प्रसाद	100.00
17.	दीप शिखा (लघु कहानियाँ)	ज्ञानप्रकाश जखमी	40.00
18.	पामाल हुए मालामाल (कविता)	सुनीता बौद्ध	40.00
19.	पल्लव (लघु कहानी संग्रह)	वी.आर. अम्बेडकर	40.00
20.	जख्मों से भरे जखमी	वी.आर. अम्बेडकर	30.00
21.	सामान्य ज्ञान	हुब राज	30.00
22.	आदि–वंश–कथा	डॉ. अंगनेलाल	25.00
23.	लोकगीत अमृत	काशीप्रसाद जाटव	50.00
24.	तिथियों के आईने में डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष	ज्ञानप्रकाश जखमी	30.00
25.	धर्म शास्त्र और शूद्र	भिक्षु अमर ज्योति	15.00
26.	झलकारी बाई रेडियों नाटक	माता प्रसाद	40.00
27.	दास्ताने मछली शहर और गुलामी के दिन	माता प्रसाद	70.00
28.	भदन्त ग. प्रज्ञानन्द का व्यक्तित्व एवं कृतित्व	ज्ञानप्रकाश जखमी	60.00
29.	बोधिसत्व बाबासाहेब टुडे पत्रिकाओं में	डॉ. पंडित बन्ने/	(P/B) 350.00
	अम्बेडकरवादी विचारधारा	वी.आर अम्बेडकर	(H/B) 550.00
30.	मा. कांशीराम की चिट्ठी	बुद्धेश्वर प्रसाद खुटियारे	70.00
31.	मानवता के मसीहा बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर	इं.एन.के. गौतम	
	जीवन दर्शन लेखक	/डॉ. बी.आर.बुद्धप्रिय	60.00
32.	धम्मपथ प्रदर्शिका लेखक	इं.एन.के. गौतम /डॉ. बी.आर.बुद्धप्रिय	निःशुल्क
33.	डॉ. माता प्रसाद की कहानी चित्रों की जुबानी	ज्ञानप्रकाश जखमी	1500.00
34.	तिथियों के आइने में मा. कांशीराम का जीवन संघर्ष	ज्ञानप्रकाश जखमी	75.00
35.	भारतीय संविधान (संक्षिप्त सार–संग्रह)	वी.आर. अम्बेडकर	50.00
36.	चेतना के बीज,	जलेश्वरी गेंदले,	70.00
37.	बुद्ध और उनका धम्म,	संपादक–प्रभु दयाल बंजारे	सहयोग
38.	बौद्ध संस्कार	नानक चन्द्र	110.00
39.	आधी रोटी	हरि शरण गौतम	300 व 350
40.	भीमायण	डॉ. जी.सी. भारद्वाज	–
41.	भारतीय संविधान (संक्षिप्त सार–संग्रह सरल भाषा में)	इं. एन.के. गौतम / ज्ञानप्रकाश जखमी	50.00
42.	भारतीय संविधान (संक्षिप्त परिचय)	इं. एन.के. गौतम / ज्ञानप्रकाश जखमी	15.00
43.	आधुनिक बहुजन विभूतियाँ	वी.आर. अम्बेडकर	50.00
44.	भगवान बुद्ध के मूल उपदेश	डॉ. डी.के. वर्मा	150.00
45.	महान विभूतियों के विचार	नानक चन्द्र, आसना सिंह	100.00
46.	बेसिक शिक्षा– तब और अब	नानक चन्द्र, आसना सिंह	100.00
47.	संविधान ज्ञान	एड. राजाराम गौतम	60.00
48.	माता सावित्री की अमर कहानी लेखिका	सविता वर्मा	70.00
49.	अम्बेडकर नारी उत्थान (गीत)	डॉ. आर.आर. जैसवार	5000
50.	संत गाडगे बाबा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व	ज्ञानप्रकाश जखमी	60.00
51.	बाबासाहेब की कहानी याद रहे जुबानी	ज्ञानप्रकाश जखमी	30.00
52.	दान देने की कला	बालक राम अम्बेडकर	सहयोग
53.	पिछड़ों के उद्धारक : छत्रपति शाहूजी महाराज	डॉ. डी.के. वर्मा	20.00

अप्रकाशित पुस्तकें

1.	भदंत भिक्खू बोधानंद महास्थविर का व्यक्तित्व व कृतित्व	नन्द किशोर सिद्धार्थ	50.00
2.	सामाजिक परिवर्तन के महानायक विद्रोही भगत सिंह	डॉ. बी.आर. बुद्धप्रिय	60.00
		सम्पादक इं.एन.के. गौतम	
3.	तिथियों के आइने में डॉ. अम्बेडकर का जीवन संघर्ष	ज्ञान प्रकाश जखमी	100.00
4.	मल्लाह अपराध बनाम विकास	डॉ. देवी सिंह अशोक पूर्व पै	250.00
5.	दलित दृष्टिकोण आरक्षण मैं और...	डॉ. सतीश अम्बेडकर	125.00
7.	भगवान बुद्ध के मूल उपदेश (द्वितीय खण्ड)	डॉ. डी.के. वर्मा	–
8.	गुरू ग्रन्थ (बिखरे मोती)	डॉ. गुलाब चंद 'कुसुम'	250.00
9.	विश्व शान्ति संत कबीर कीर्ति स्तम्भ	ज्ञानप्रकाश जखमी	200.00